न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
85/प्रा.पत्र/2012	06.06.2012	24.01.2020

सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

राधेश्याम, सीताराम, आ. चतर्भुज जाति माली निवासी रेटोदा तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 18.06.1999 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री विनय कुमार सक्सेना, अभि.।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, नैनवां ने अप्रार्थीगण राधेश्याम, सीताराम पिसरान चतर्भुज जाति माली निवासी रेटोदा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन ख. सं. 1075 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, ख. सं. 1077 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा ग्राम रेटोदा को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 376/प्रा./2001 दर्ज किया जाकर दिनांक 11.03.2003 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 18.06.1999 अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक नहीं होने से खारिज किया गया था।

अप्रार्थीगण ने उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहां अपील पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 21.05.2012 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित करते हुये अपील प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.03.2003 निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित कर निर्देशित

किया गया है कि आवंटित आराजी के पूर्व में आवंटित आदेश एवं पिता के खातेदारी की भूमि से प्राप्त हिस्से की भूमि को ध्यान में रखते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 21.05.2012 की पालना में प्रकरण को पुनः 85/प्रा./2012 पर दर्ज कर पक्षकारान को सबूत, साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने हेतु तलब किया गया एवं साक्ष्य, सबूत व दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दोरान मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटी के पिता के खाते में वक्त आवंटन 36 बीघा भूमि है तथा आवंटित भूमि पर भी आवंटी का अतिक्रमण है। आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थीगण (आवंटी) भूमिहीन कृषक नहीं होते हुये भी आवंटन किया गया है। जो नियम विरूद्व होने से आवंटन खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में दिनांक 18.06.1999 को ग्राम रेटोदा में ख. नं. 1075 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा, ख. नं. 1077 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 01 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। प्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के वक्त आवंटन अप्रार्थीगण के पिता के खाते में 36 बीघा भूमि होने से अप्रार्थीगण भूमिहीन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते है तथा भूमिहीन नहीं होने से आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन नियम विरूद्व होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के खाते की भूमि का विवरण तहसीलदार, नैनवां (प्रार्थी) से किया गया। तहसीलदार (प्रार्थी) नैनवां से ली गई रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2068–2071 ग्राम रेटोदा के खाता सं. 286, जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 ग्राम रेटोदा खाता सं. 284 व जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 ग्राम रेटोदा खाता सं. 156 के अनुसार अप्रार्थी राधेश्याम के खाते में 11 बीघा 18 बिस्वा व सीताराम के खाते में 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि आती है। इसके अलावा अन्य भूमि पटवार मण्डल रेटोदा में नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण राधेश्याम, सीताराम के खाते में कुल 20 बीघा 06 बिस्वा भूमि आती है। अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 17 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। भू आवंटन नियम 20 में निहित प्रावधानों के अनुसार आवंटी के पास

उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि को मिलाकर 15 बीघा से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये। अप्रार्थीगण (आवंटी) राधेश्याम व सीताराम दो व्यक्ति होने से इनके पास उपलब्ध भूमि व आवंटित भूमि को मिलाकर दोनों के पास 15–15 बीघा भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार अप्रार्थीगण राधेश्याम के पास खाते में 11 बीघा 18 बिस्वा व सीताराम के खाते में 08 बीघा 08 बिस्वा आवंटन से पहले ही भूमि मौजूद थी। इस प्रकार अप्रार्थी राधेश्याम को 03 बीघा 02 बिस्वा व अप्रार्थी सीताराम को 06 बीघा 12 बिस्वा और भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दिनांक 18.06.1999 को किया गया भूमि आवंटन ख. नं. 1075 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा में से 03 बीघा 10 बिस्वा तथा ख. नं. 1077 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा में से 03 बीघा 07 बिस्वा को निरस्त किया जाता है तथा शेष आवंटन ख. नं. 1075 में से 04 बीघा 17 बिस्वा, ख. नं. 1077 में से रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)